संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक 295 /OST /CME /2019 **भोपाल, दिनांक 01 / 7 /2019**

प्रति,

1- शासन के समस्त विभाग ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
3-अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर ।
4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु राज्य से बाहर निजी चिकित्सालय को मान्यता देने बावत् ।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग निम्न अस्पताल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के अंतर्गत निम्न शर्तो के अधीन मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अस्पताल के सम्मुख दर्शायी बीमारियों के लिये एन0ए0बी0एच0 मान्यता की अंतिम तिथि तक के लिए उपचार हेतु राज्य शासन द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर मान्यता प्रदान करता है :-

क्र.	अस्पताल का नाम	एन0ए0बी0एच0 की अवधि	उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई बीमारी का नाम
1.	स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर, (महाराष्ट्र)।	10.11.2016 से 09.11.2019 तक	1 एंजियोग्राफी 2 हार्ट डिसीज (सर्जरी)

(1) जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अंतर्गत निदान उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विभाग के कंसलटेंट को दिखाना होगा । कंसलटेंट द्वारा राज्य के बाहर निदान/उपचार के निदान आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जॉच एक समिति करेगी । जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा मेडिकल एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे ।

(2) जिला मुख्यालय पर उक्त प्रमाण-पत्र की जॉच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ करेंगे । परंतु शासन आदेश एफ 4-23/2013/2/55 भोपाल दिनांक 21.12.2018 का पालन आवश्यक होगा ।

(3) उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संभाग स्तरीय समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(4) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय उसमें से जो भी कम हो होगी, यदि अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित, महंगी चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।

(5) ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हास्पिटल्स में सुविधायें उपलब्ध है एवं मध्यप्रदेश में सुविधायें उपलब्ध नहीं है, उनके लिये संभाग स्तरीय समिति द्वारा राज्य से बाहर के चिकित्सालय में उपचार के लिये अनुशंसा की जावेगी ।

(6) चिकित्सालय में सी0जी0एच0एस0 द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।

(7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

निरंतर....2

(8) चिकित्सालय द्वारा सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जायेगा ।

(9) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह देखने के लिये कि उपचार हेतु समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर का है, संस्थान की जॉच कर सकेंगे ।

(10) चिकित्सालय द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखी जायेगी तथा प्रतिमाह 7 तारीख को संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को भेजी जावेगी ।

(11) निर्धारित जॉच/इलाज की दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।

(12) यदि संस्था द्वारा एन0ए0बी0एच0 का नवीन वैद्य प्रमाण-पत्र मान्यता जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी ।

13-अ 2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25/08/2014 के अनुसार जारी की जा रही है ।

13-ब तथा यह अनुमति वित्त विभाग पृष्ठांकन क्रमांक आर.नं. 628/ब्-6/2017/चार दिनांक 24.10.2017 द्वारा वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी की जा रही है ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 296-13 /OST /CME /2019 **भोपाल, दिनांक 01/ 7 /2019**

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/रीवा/विदिशा/शहडोल/खण्डवा/छिन्दवाड़ा/रतलाम एवं शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
8. समस्त अस्पताल.. की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

1/7/19